भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3545

जिसका उत्तर 22 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

1 चैत्र, 1944 (शक)

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उत्पीड़न और ट्रोलिंग

3545. श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कट्टरपंथियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उत्पीड़न और ट्रोलिंग की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने किसी एजेंडे का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार ऐसी गतिविधियों पर किस प्रकार अंकुश लगा रही है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ङ) : सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ, उत्पीड़न और ट्रोलिंग सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के शिकार भारतीयों की संख्या भी बढ़ी है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता हेतु, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 बनाए हैं। ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं, जो उचित सावधानी का पालन करते हैं और यह प्रदान करते हैं कि यदि वे इस तरह के उचित सावधानी का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अब तीसरे पक्ष की जानकारी या डेटा या संचार लिंक के लिए कानून के तहत उनके दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी । इस तरह की उचित सावधानी में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एक मध्यस्थ अपने उपयोगकर्ता को किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित या साझा नहीं करने के लिए उचित प्रयास करेगा जो लिंग के आधार पर अपमानजनक या परेशान कर रहा है, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक या बच्चे के लिए हानिकारक है, या जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता है या जानबूझकर किसी भी गलत सूचना या

जानकारी का संचार करता है जो स्पष्ट रूप से गलत और असत्य या भ्रामक प्रकृति है, या जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करता है।

(ii) उपरोक्त के उल्लंघन पर स्वैच्छिक आधार पर, और उचित सरकार या इसकी एजेंसी से शिकायत या अदालती आदेश या नोटिस प्राप्त होने पर वास्तविक ज्ञान पर, मध्यस्थ समय के लिए कानून के तहत प्रतिबंधित गैरकानूनी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करेगा।

(iii) यदि मध्यस्थ एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है (अर्थात, भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाला एक सोशल मीडिया मध्यस्थ), तो इसके लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24x7 समन्वय।

*****